

संख्या 41015/1/2019-बीसी.III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड,

नई दिल्ली-110001

20 दिसंबर, 2019

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल,

सभी डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटर/एमएसओ/केबल ऑपरेटर

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत विशिष्ट कार्यक्रम संहिता और एडवाइजरी में उल्लिखित उसके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.12.2019 को जारी की गई एडवाइजरी की ओर से ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2 यह देखा गया है कि उपरोक्त एडवाइजरी के बावजूद, कुछ टीवी चैनल ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो उसमें निर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं। तदनुसार, यह दोहराया जाता है कि सभी टीवी चैनल ऐसी कोई भी सामग्री दिखाने से परहेज करें जिससे/जिसमें/जो

(क) हिंसा भड़काने की संभावना है या इसमें कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है,

(ख) राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज शामिल है

(ग) व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या देश के कुछ समूहों, सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के क्षेत्रों की आलोचना, बदनामी या बदनामी करता है।

2. उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी जाती है।

(एम. राजेंद्रन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23386819

प्रतिलिपि:

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) मैनटेक हाउस, तीसरी मंजिल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा
2. श्री एनपी सिंह, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), बी- 304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली 110049